श्री सभापति: मंत्री जी, आपका गला खराब है और आप बोल नहीं सकेंगे, इसलिए बैठ जाइए...(**व्यवधान**)... हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी स्वयं इसका जवाब दें, इसलिए आप इसे पोस्टपोन करवा दीजिए।

श्री सभापति: ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करता हूं लेकिन मंत्री जी, आपका जो कॉलिंग अटेन्शन है, मैं उसका क्या करूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, उसे भी पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि कॉलिंग एटेन्शन पर भी इन्हें लम्बा बोलना पड़ेगा इसलिए उसे भी किसी और दिन ले लीजिए।

श्री सभापति: ठीक है।

States lagging behind in the PMGSY

*309. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 15 States are lagging behind in the 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana';

(b) if so, which are the States and the year from which they have not claimed their share of funds from the Central Government; and

(c) why such lapses were not detected during this period through annual review meetings held from time to time?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c)AStatement is laid on the Table of the Hoiise.

Statement

Details of year-wise allocation and release of funds to States under Pradhan Mantri Gram Sadak Yo1a (PMGSY), State-wise given in the Statement-I (See below). 19 States have not taken their full allocation up to the current year, the details of which are also reflected in the Table.

These States have not been able to take their full allocation due to, *inter alia,* inadequate institutional arrangements, limited contracting capacity, delay in obtaining forest clearance/land availability etc. The review meeting with States taken at regular intervals at various levels, focus on such issues and are intended to facilitate the States to improve their absorption capacity and accelerating the pace of works.

Statemmnt-I

*Year-wise **allocation and** release of funds to States under PMGSY (including **ADB/WB)***

(Rs. in crore)

SI No	State	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		Total	
		Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release
1	Andhra Pradesh	190	195 00	190	22465	190	219 29	90	100.00	go	88 97	100	183.56	850	1011.4
2	Arunachal	35	40.95	35	45.00	35	41 51	35	000	35	0.00	52	5200	227	179.46
3	Assam	75	7500	75	80.00	75	7492	75	170.02	75	164 52	176	000	551	564 46
4	Bihar	150	149,90	150	000	150	0.00	150	150.00	150	29 58	332	191.12	1082	520.60
5	Chhattisgarh	87	92.41	87	9862	87	159 60	• 87	110.00	87	214 92	235	23021	670	905.76
6	Goa	5	5.00	5	5.00	5	000	5	000	5	0.00	5	0.00	30	1000
7	Gujarat	50	5981	50	60 00	50	51 70	50	44 35	50	000	60	44 35	310	26021
8	Haryana	20	25.18	20	30.00	20	44.75	20	799	20	28 04	25	20 11	125	156.07
9	Himachal	60	60.00	60	7209	60	10457	60	66.35	60	13 95	82	40 14	382	357 10
10	Jammu &	20	20.00	20	0.00	20	35 00	20	000	20	20 00	60	0.00	160	75.00
11	Jharkhand	110	11005	110	120 00	110	0.00	110	12387	110	0 00	170	67 96	720	421 88
12	Karnataka	95	100.57	95	10837	95	9774	95	59 00	95	000	105	8997	580	455 65
13	Kerala	20	1971	20	27 65	20	11 43	20	1038	20	10 39	25	000	125	79.56
14	Madhya	213	217.64	213	248 00	213	450 39	213	290 90	213	256 45	435	295 14	1500	1758
15	Maharashtra	130	130.21	130	134 50	130	11458	130	7500	130	0 00	140	0 00	790	454 29
16	Manipur	40	40.00	40	40 00	40	0.00	20	000	20	1800	28	000	188	98 00
17	Meghalaya	35	34 95	35	4572	35	35 00	35	000	35	0 00	40	000	215	11567
18	Mizoram	20	19 93	20	26 53	20	50 88	20	20 78	20	46 40	27	0 00	127	164 52
19	Nagaland	20	19 75	20	25 53	20	22.23	20	21 44	20	18 00	25	000	125	106 95
20	Orissa	175	179.70	175	175 00	175	170 09	175	175 00	175	175 00	268	97 75	1143	972 54
21	Punjab	25	24 66	25	55.00	25	20 39	25	27 35	25	0 00	30	48 90	155	176 30
22	Rajasthan	130	140.09	130	150 00	130	241 74	130	190 16	130	648 55	229	428 10	879	1798
23	Sikkim	20	13.16	20	20 00	20	1781	20	20 00	20	0 00	25	000	125	70 97
24	Tamil Nadu	80	99 25	80	88.57	80	80 32	80	85 00	80	79 78	85	0 00	485	432 92
25	Tripura	25	2475	25	26 85	25	25 00	25	0 00	25	0 00	35	19 79	160	96 39
26	Uttar Pradesh	315	321 11	315	348 11	315	240 54	315	335 27	315	317 47	370	633 53	1945	2196
27	Uttaranchal	60	60 63	60	70 00	60	000	60	70 41	60	0 00	95	000	395	201 04
28	West Bengal	135	135 00	135	149 65	135	159 52	135	135 00	135	270 00	221	0 00	896	849 17

ADBWB funds were not allocated during 2004-05 These are, however, included in the releases

श्री विजय जे. दर्डा: महोदय. भारत सरकार ने 2009 तक पूरे देश को जहां पॉपुलेशन केवल 1000 है और हिली एवं ट्राइबल एरियाज़, जहां पॉपुलेशन 500 है, रास्ते से जोड़ने का एक संकल्प लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शत-प्रतिशत सब्सिडी पर आधारित है, इसके बावजूद भी सभी प्रदेशों में इसकी प्रगति एक जैसी नहीं है।कुछ राज्य जैसे बिहार, झारखंड, मणिपुर इत्यादि काफी पिछड़े हुए है, जबकि उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक की स्थिति कुछ सामान्य है, इसके क्या कारण है और क्या इन राज्यों में ज़िला पंचायतों एंव ग्राम पंचायतों को विश्वास में लिया गया है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:सभापति महोदय, माननीय सदस्य पंचायत के संबंध में जानना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास जिन सड़कों की सूची भेजती है, उन्हें वह जिला परिषद द्वारा पारित कराने के बाद ही हमारे पास भेजती है। महोदया, उसमें राज्य सरकारों को कुछ कठिनाइयां है. उनकी कंज्युमिंग कैपेसिटी अपने यहां कम है, उनके विभाग का जो आर्गनाइजेशन है, वह कमजोर है और कांट्रेक्टर्स का भी अभाव है। इन कारणों से सभी राज्य सरकार, जिनको जितना अलाटमेंट होता है, उतना वह खर्च नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमने दो बार बैठकें की हैं, जो राज्य पीछे छूट गये हैं, करीब 19 राज्य है, अपना जो इस साल तक का हिस्सा उन्हें लेना चाहिए, वह अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। हमारी सभी राज्यों के सेक्रेटरीज़ के साथ बैठक हुई है और माननीय मुख्य मंत्रिगण को भी हमने लिखा है, जिन राज्यों का आबंटित पैसा समय पर खर्च नहीं हो रहा है उनसे हमने आग्रह किया है कि आप अपने स्टेट की कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ायें और कंट्रेक्टर्स की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए उपाय किये जायें, जिनसे भारत निर्माण की जो महत्वाकांक्षी योजना जो चार वर्षों के अंदर, हजार की आबादी समतल में और 500 की आबादी हिली और ट्राइबल एरिया में पक्की सड़कों से जोड़ देना है, उसको पूरा किया जा सके। महोदय, पहले इस पर ढ़ाई हज़ार करोड़ रुपये सालाना खर्च होता था, अभी इस साल हमारा बजट करीब 4200 करोड़ रुपये का हुआ, अगले साल 9000 करोड़ रुपये का होगा, इस प्रकार चार वर्षों में हमको 48000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 12000 करोड़ रुपये खर्च करना है। इसका मतलब है कि पहले जो क्षमता थी, उसकी पांच गुना क्षमता में वृद्धि करनी है। चूंकि गांव में भी सड़क हो और रूरल जो देश भर में करीब 26 लाख किलोमीटर है, इसीलिए क्रमवार आबादी के हिसाब से उसको जोड़ने का लक्ष्य है। उसमें हम राज्य सरकारों के बराबर सम्पर्क में है। उनकी क्षमता किया है, उनकी कठिनाइयां क्या है? वे अपनी कंज्युमिंग कैपेसिटी बढ़ायें, उनको पैसे की कमी नहीं होगी, इसके लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पूरा आश्वस्त किया है कि पूरा पैसा खर्च किया जाये औऱ गांव के विकास के लिए लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान की जाये।

श्री विजय जे. दर्डा: सभापति महोदय, मेरा दूसरा स्प्लीमेंट्री है। मंत्री महोदय, आपने संकल्प लिया है कि सन् 2009 तक आप पूरे देश को पक्की सड़कों से जोड़ देंगे। आपने अभी उसको

दोहराया हैं कि पैसे की भी कोई कमी नहीं पड़ेगी, आपकी क्षमता है, मगर उसके बावजूद भी 19 राज्यों ने अभी तक प्रोग्रेस नहीं की है. तो आप उसको कैसे पूरा करने वाले है? क्या आपके पासस महाराष्ट्र से कोई ऐसे प्रपोजल्स आये हैं और क्या आन्ध्र प्रदेश से भी ऐसे प्रपोजल्स आपके पास आये हैं। जो लैंड एक्वीजिशन की समस्या है, यह एक बड़ी जटिल समस्या बनकर खड़ी है, तो क्या आप उस दृष्टि से राज्यों से बातचीत कर रहे हैं?

श्री सभापति: यह तो राज्यों का काम है। इसको राज्यों से करवाइये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो जमीन का काम है या जो लैंड एक्वीजिशन का काम है, वह राज्य सरकारों का काम है, हम केवल सड़क बनाने के लिए धनराशि देते हैं। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश का नाम लिया है। महाराष्ट्र में कुछ काम पीछे चल रहा था, लेकिन अब इम्प्रुवमेंट हुआ है और आन्ध्र प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों के साथ, हमने परसों आन्ध्र भवन में बैठक की है, उसमें राज्य सरकार के लोग भी मौजूद थे, उन लोगों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को ज्यादा तरजीह देने की मांग की, हमने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है कि सड़क को बढ़िया बनाया जाये।...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे. दर्डा: आप टारगेट कैसे पूरा करेंगे?

श्री सभापति: आप लैंड एक्वीजिशन का काम दर्डा जी को दे दीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: सभापति महोदय,अभी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मंत्री महोदय, ने बताया कि कई ऐसे राज्य हैं, जो खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी आन्ध्र प्रदेश के सांसदों की दो दिन पहले आन्ध्र भवन में मीटिंग हुई, वहां पर इसका जिक्र नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार की ओर से कोई ऐसे प्रपोजल्स है जिनमें आपके द्वारा रकम देने के बाद खर्च नहीं हुआ- क्या आपके पास कोई ऐसा बैलेंस है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो आन्ध्र प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक हुई, उसमें आन्ध्र प्रदेश के मंत्री श्री दिवाकर रेड्डी जी भी मौजूद थे और उन्होंने केवल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का ही जिक्र किया तो संभवतः देर से आये होंगे या...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: सर, मैं मीटिंग में था, मैंने इसका जिक्र किया था।...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य वहीं मौजूद थे, श्री दिवाकर रेड्डी साहब ने केवल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का ही जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो पहले से डबल्युबीसी और मोड़म से सड़क बनाई गई थी, उसको पक्की करा दिया जाये। हमने उनको आश्वस्त किया कि जिस सड़क को अपग्रेड करना है। उसमें उनकी योजना भी शामिल की जायेगी।

श्री वसंत चव्हाण: धन्यवाद सभापति महोदय, जो जानकारी सरकार से मिली है, इससे ही पता चलता है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम सरकार किस नीति से कर रही है। मुझे इस बात में आश्चर्य होता है कि 2005-06 में केन्द्र की तरफ से देश के पांच राज्यों को एक पैसा भी रिलीज़ नहीं किया गया। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड- इस पांच राज्यों को कुछ पैसा नहीं दिया गया, एक पैसा भी रिलीज़ नहीं किया गया । इसके विशेष कारण क्या है। और इसके बारे में केन्द्र की नीति क्या है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जो पूर्व के वर्षों में राज्य सरकारों को राशि दी गयी थी,उसका कम से कम 60 प्रतिशत अगर वे खर्च कर लेते, तब हम उन्हें अगली राशि देते। परन्तु अभी तक उन्होंने खर्च नहीं किया है इसलिए हमने इनको इस वर्ष राशि रिलीज़ नहीं की है। लेकिन इन राज्य सरकारों के सचिवों ने हमें सूचना दी है कि वे अब जल्दी ही युटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। तब हम उनको तुरन्त राशि रिलीज़ करेंगे। उनके लिए राशि रखी हुई है, उनका हिस्सा कहीं गया नहीं है।

Provisions in the Armed Forces Tribunal

*310. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the proposed Armed Forces Tribunal will address the inherent blatant deficiency in military law *i.e.* the absence of remedy of appeal against the order of the court martial;

(b) whether the existing court martial system under military law is regulated by mere power of military command rather than law;

(c) whether the western nations have upgraded their military justice system at per with civilian criminal justice system in the light of emerging changes in human rights standards; and

(d) whether Government will consider formulating a comprehensive common code of justice/discipline for all the three forces, 9arating the Judge Advocate General branch from the command control?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The proposed Tribunal shall exercise, on and from the appointed day, all the jurisdiction, powers and authority exercisable under this Act in relation to appeal against any order, 8ision, finding or sentence